संख्या- 19 / 2024 / 79 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2024

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के अभिलेख कक्षों को वातानुकूलित किये जाने हेतु रू0 13.00 लाख, सर्वर के संचालन एवं संरक्षण कार्यों हेतु आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान हेतु रू0 4.70 लाख एवं अभिलेखों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन आदि कार्यों हेतु रू0 50.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3148 /सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 एवं निदेशक, अभिलेखागार के पत्र संख्या- 672/तीन-1/2023-24 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 व पत्र संख्या- 673/तीन-1/2023-24 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के अभिलेख कक्षों को वातानुकूलित किये जाने हेतु रू0 13.00 लाख (रू0 तेरह लाख मात्र), सर्वर के संचालन एवं अन्य संरक्षण आदि कार्यों हेतु आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान हेतु रू0 4.70 लाख (रू0 चार लाख सत्तर हजार मात्र) एवं अभिलेखों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन आदि कार्यों हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 67.70 लाख (रू0 सरसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति रू0 13.00 लाख से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख - 10- जल कर / जल प्रभार मद से धनराशि संक्रमित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख - 26- मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपर्युक्त स्वीकृति रू0 4.70 लाख से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख - 17- किराया, उप शुल्क एवं कर स्वामित्व मद से धनराशि संक्रमित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख - 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

उपर्युक्त स्वीकृति रू0 50.00 लाख से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख - 01- वेतन मद से धनराशि संक्रमित कर लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख - 42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 19 /2024 / 79 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-7151-Char-2023-Archives 2205-104

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के राजस्व के विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन ।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	38,54,000 रुपये अड़तीस लाख चौवन हजार मात्र	4,70,000 रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र	4,70,000 रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र	4,70,000 रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र	33,84,000 रुपये तैंतीस लाख चौरासी हजार मात्र	2023-2024
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	10 (जलकर / जल प्रभार)	22,44,000 रुपये बाईस लाख चवालीस हजार मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	9,44,000 रुपये नौ लाख चवालीस हजार मात्र	2023-2024
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	01 (वेतन)	4,37,72,000 रुपये चार करोड़ सैंतीस लाख बहत्तर हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	3,87,72,000 रुपये तीन करोड़ सतासी लाख बहत्तर हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 67,70,000	₹ 67,70,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	4,70,000 रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र	4,70,000 रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र	6,70,000 रुपये छह लाख सत्तर हजार मात्र	2023-2024
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	2023-2024
092	2205001040300 (राज्य अभिलेख--)	42 (अन्य व्यय)	53,00,000 रुपये तिरपन लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	1,03,00,000 रुपये एक करोड़ तीन लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 67,70,000	₹ 67,70,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

संख्या:RE-budget-1-286-E-7-346-X-2023-24-दिनांक:03-01-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 19 /2024 / 79 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।